<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर</u>

<u>अपील संख्या 20/2018 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)</u>

परमानन्द पुत्र श्री छगनलाल जाति ब्राहमण निवासी धनवाडा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर जिला भरतपुर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध तहसीलदार कुम्हेर दिनांक 29.12.2017 प्रकरण संख्या 34/2017 (91 एल आर एक्ट) सरकार बनाम परमानन्द।

उपस्थित :
1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट।
2. पेरोकार सरकार

दिनांक – 22.2.2018

निर्णय

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार कुम्हेर की आज्ञा दिनांक 29.12.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 1337/0.56 है0 वाके ग्राम धनवाडा किस्म गै0मु0 रास्ता में से 0.01 है0 पर पक्की वाउण्ड्री एवं चबूतरा बनाकर अपीलान्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुये अपीलाधीन आदेश से उक्त अतिक्रमित भूमि से अपीलान्ट को बेदखल किये जाने एवं उसे अतिक्रमित रकबे के लगान 0.09 की पचास गुना राशि 5 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के फलस्वरूप तीन माह अर्थात नब्बे दिवस के साधारण कारावास की सजा से भी दण्डित किया गया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि खसरा नम्बर 1337/0.56 हैक्टेयर से लगता हुआ अपीलान्ट की खातेदारी का खसरा नम्बर 1431 है अपीलान्ट अपनी खातेदारी के रकबे पर काबिज है। रास्ते पर कोई अतिक्रमण नहीं है। समस्त कार्यवाही तहत अदालत द्वारा एकतरफा में कीगई है। तथ्यों एवं रिकार्ड के विपरीत अपीलान्ट को अतिक्रमी माना है । पूर्व में भी कभी भी अपीलान्ट द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया था और ना ही अब किया है। तहत अदालत की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य सबूत नहीं है जिसके आधार पर अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जा सके फिर भी तहत अदालत ने मनमाने ढंग से मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये 90 दिवस के कारावास से दण्डित कर दिया

है जो अपीलान्ट के साथ अन्याय है। न पैमायश की गई न मौका देखा गया न अपीलान्ट को सुना गया मात्र कयासों के आधार पर यह अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलान्टस की बैक पर पारित किया गया आदेश है इसलिऐ अपीलान्टस को इसकी कतई जानकारी नहीं थी। दिनांक 14.12.2017 को तहत अदालत में हाजिर होने पर अपीलान्ट को आगाती तारीख की जानकारी नहीं दी गई पत्रावली को तहसीलदार ने अपने पास रख लिया व एकतरफा में दिनांक 29.12.2017 को आज्ञा पारित कर दी। वारन्ट जारी किये जाने के बाद दिनांक 12.2.2018 को इस बाबत अपीलान्ट को जानकारी हुई। तदोपरान्त वकील से सम्पर्क कर नकल इत्यादि कार्यवाही करते हुये हुये अपील बिना देरी के पेश की गई है। जिसके लिये पृथक से धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2017 निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार कुम्हेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2017 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों कि अपीलान्टस/अतिक्रमी ने खसरा नम्बर 1337/0.56 है0 वाकै ग्राम धनवाडा किस्म गै0मु0 रास्ता में से 0.01 है0 पर पक्की वाउण्ड्री एवं चबूतरा बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी पटवारी हल्का धनवाडा 91 एल आर एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कीगई जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की गई। नोटिस की विधिवत तामील भी अपीलान्ट पर हुई है। अपीलान्ट द्वारा न तो जबाब प्रस्तुत किया न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश किया गया। गत सम्वत में भी अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। पटवारी हल्का ने अपने बयानों में यह स्पष्ट किया है कि अपीलान्ट द्वारा उक्त राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है और यह अतिक्रमण उसके द्वारा पुनः किया गया है। अर्थात अपीलान्ट बखूबी पश्चातवर्ती अतिक्रमी की संज्ञा में आता है पटवारी के बयान एवं पटवारी रिपोर्ट दिनांक 16.11.2011 से यह स्पष्ट प्रमाणित है। उक्त राजकीय भूमि पर पुनः अवैध कब्जा एवं पक्का निमार्ण करके भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लघंन किया है। इसलिऐ अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित किया गया है। अपीलान्टस बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानों तथा गत रिकार्ड से वर्तमान एवं गत अतिक्रमण सिद्ध हो जाने पर तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो उचित है। जिस भूमि पर अतिक्रमी बार बार अतिक्रमण कर रहा है वह भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है । अतिक्रमित भूमि राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 16 के प्रावधानानुसार वर्जित होने से नियमन योग्य भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्यायसंगत है । अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2017 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

Web Copy - Not Official

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

> ''Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants''

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–
'' Liberal view should be Taken in Cononing The Dely in Filling The appeal''

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। रिकार्ड अवलोकन यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 1337/0.56 है0 वाके ग्राम धनवाडा किस्म गै0मु0 रास्ता में से 0.01 है0 पर पक्की वाउण्ड्री एवं चबूतरा बनाकर पुनः अतिक्रमण कर लिया है। तथ्यों के विपरीत वकील अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत अदालत हाजा के समक्ष पेश नहीं किया जिससे पैरोकार सरकार के कथनों एवं तहत रिकार्ड के अतिक्रमी एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के तथ्यों की आधारहीन होने की पुष्टि हो सके। इसके अलावा अपीलान्ट का यह कहना कि तहत आदेश एकतरफा में हुआ है उचित नहीं है क्यों कि एकतरफ तो वे अपने प्रार्थना पत्र धारा–5 में यह कहते है कि दिनांक 14.12.2017 को तहत अदालत में हाजिर हुआ दूसरी तरफ अपील अपील में यह कहते है कि एकपक्षीय कार्यवाही कीगहै है। यदि वे तहत अदालत में उपस्थित हो चुके थे तो अपने बचाव में यथोचित साक्ष्य एवं सबूत पेश कर सकते थे न तो उनके द्वारा तहत अदालत में अपने बचाव में साक्ष्य सबूत पेश किये और न ही अदालत हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश किया जिससे अपीलाधीन आदेश को बेबुनियाद या तथ्यों के प्रतिकूल माना जा सके। अपीलान्ट द्वारा बार–बार उक्त सार्वजनिक रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किया जाना भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के उल्लघंन के साथ साथ अपीलान्ट की गलत मंशा को भी दर्शाता है जो न्यायोचित नहीं है। अतिक्रमित भूमि राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 16 के प्रावधानानुसार वर्जित होने से तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार की कोई विधिकत्रुटी नहीं पाते है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण निरस्त योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 29.12.2017 में कोई विधिकत्रुटि प्रमाणित नही होने के कारण यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.2.2018 को सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर

Web Copy - Not Official